संख्या–1023/नौ–9–12–09ज/98टी.सी.

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

विषय– उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों द्वारा बैरियर लगाकर वाहन प्रवेश शुल्क/पार्किंग शुल्क को स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 3586/ नौ–9–2001– 9ज/98 दिनांक 26 नवम्बर, 2001 द्वारा यह दिशा–निर्देश जारी किया गया है कि नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें उप विधि बनाकर निकाय सीमा के अन्तर्गत आने वाले ऐसे वाहनों पर जो स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्थित स्टैण्ड या पार्किंग स्थलों पर ठहराव करते हों अथवा ऐसे वाहन पर जो निकाय सीमा के अन्तर्गत सवारियों को उतारते अथवा चढ़ाते हों, कर लगा सकती हैं, परन्तु ऐसे वाहन जो निकाय सीमा में प्रवेश करते हों अथवा निकाय सीमा से होकर बाहर जाते हों, प्रवेश या निर्गमन शुल्क आदि आरोपित नहीं कर सकती हैं।

2– उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर शिकायतें प्राप्त हुई कि नागर निकायों द्वारा निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और बैरियर लगाकर नगरों में प्रवेश करने वाले वाहनों से प्रवेश शुल्क की वसूली की जा रही है, जिस पर विचारोपरान्त शासनादेश सं0–2121/नौ–9–2008–09ज/98 टी.सी. दिनांक 03 जुलाई, 2008 तथा सं0–3813/नौ–9–2011–09ज/98 टी.सी. दिनांक 12.01.2009 द्वारा पुनः यह निर्देश जारी किये गये कि नगरीय निकायों द्वारा पार्किंग शुल्क वहीं वसूला जाये, जहॉ पर निकायों द्वारा वाहन पार्किंग स्थल की व्यवस्था निर्धारित की गयी हो और जन सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हो। पार्किंग स्थल पर सम्बन्धित ठेकेदार का नाम, अवधि, दरें आदि का विवरण सूचना पट्टिका पर अंकित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा जहॉ पार्किंग स्थल की व्यवस्था नहीं की गयी हो, वहॉ पर किसी प्रकार की पार्किंग शुल्क/अवैध वसूली न की जाये।

3— उपर्युक्त स्पष्ट शासनादेशों के बावजूद भी संज्ञान में यह आया है कि नागर निकायों द्वारा उक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और बैरियर लगाकर नगरों में प्रवेश करने वाले व गुजरने वाले समस्त वाहनों से प्रवेश शुल्क/पार्किंग शुल्क की वसूली की जा रही है, जो नियमानुसार नहीं है।

4— अतएव उत्तर प्रदेश में नगरीय निकायों द्वारा बैरियर लगाकर वाहन प्रवेश शुल्क/पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली किये जाने की शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निकायों द्वारा नियम विरूद्ध स्थापित बैरियरों पर वाहन प्रवेश/पार्किंग शुल्क की वसूली स्थगित कर दी जाये।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या—1023 (1)/नौ—9—2012 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ ।
2— समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 ।
3— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय) ।
4— समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग।
5— गार्ड फाइल। website व कम्प्यूटर से up load करने हेतु ।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

६